

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 2 / 2015–2020  
नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल, 2015

विषय: प्याज की निर्यात नीति—न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) में कमी।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.3.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 21. 08.2014 की अधिसूचना सं0 91 (आरई–2013)/2009–14 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 21.08.2014 की अधिसूचना सं. 91 (आरई–2013)/2009–14 के संशोधित पैरा 2 को अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 एवं 52 में मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात 250 यूएस डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात 250 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन (पूर्व के 300 यूएस डालर प्रति मीट्रिक टन न्यूनतम निर्यात मूल्य से घटाकर) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन होगा।

(प्रवीर कुमार)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ईमेल: dgft@nic.in

(फार्म सं0 01/91/180/922/एएम08/पीसी III/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)